16

लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन

पिछले अध्यायों में हमने भारतीय लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम व्यक्तियों की भागीदारी को समझने का प्रयास किया। इस अध्याय में लोकतंत्र में जन आंदोलनों की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ जन आंदोलन के अध्ययन द्वारा हम ऐसे सवालों का जवाब खोजेंगे – जन आंदोलन क्या होता है? लोकतंत्र में जन आंदोलनों की क्या भूमिका होती है?

16.1 सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य

पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में आम व्यक्ति यानी हमारी अपनी भागीदारी के बारे में जानने की कोशिश की। हमने देखा कि लोकतंत्र में अलग–अलग माध्यमों से शासन में भागीदारी की व्यवस्था की जाती है। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वयस्क मतदान (निश्चित आयु के बाद सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार), सक्रिय दबाव समूह और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन सहभागिता के इन साधनों के अलावा भी भागीदारी के कोई अन्य प्रकार हो सकते हैं? आमतौर पर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन द्वारा ही मतदान, अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता आदि अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं लेकिन एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि उसमें लगातार ऐसे और साधन प्रयोग किए जाते हैं जो शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाते हैं या शासन को विभिन्न सामाजिक तबकों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।

सामाजिक आंदोलन किसी देश या समाज में किसी समूह द्वारा अपनी मांगों के लिए मिल कर किया गया प्रयास होता है। यहाँ हम हमारे देश में हाल में हुए कुछ आंदोलनों के संदर्भ में यह समझने का प्रयास करेंगे कि :–

सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जनसहभागिता को कैसे प्रभावित करते हैं?

लोकतंत्र में समाज के अलग–अलग समूह राजनैतिक व्यवस्था और कानून निर्माण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं?

6.1.1 नियमगिरी में डोंगरिया कोंडाओं का आंदोलन

छत्तीसगढ़ के पूर्व में ओडिशा राज्य है। यहाँ नियमगिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसमें बाक्साईट (एल्युमिनियम अयस्क) का भण्डार है। राज्य सरकार ने इसके खनन के लिए एक कम्पनी से 2004 में करार किया था। यह एक वन्य क्षेत्र था, इसलिए यहाँ खनन के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी थी। कम्पनी

चित्र 16.1 : नियमगिरि जनजातियों का एक प्रदर्शन

ने सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली। 27 जनवरी, 2009 का दिन था, कम्पनी की मशीनें खनन प्रारंभ करने के लिए पहुँच चुकी थी लेकिन उसी दिन सुबह से ही इस क्षेत्र में रहने वाले लोग नियमगिरी पहाड़ी के चारों ओर जुटने लगे थे। देखते–ही–देखते हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 10,000 महिला व पुरूष एकत्रित हो चुके थे। ये लोग नहीं चाहते थे, कि नियमगिरी पहाड़ी में खनन कार्य किया जाए। इन लोगों ने बुल्डोजरों से नियमगिरी को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार 17 किमी लंबी मानव श्रृंखला बनाकर पूरे नियमगिरी पहाड़ी को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों के पास जो तख्ती थी उन पर लिखा था–''वेदांत वापस जाओ, नियमगिरी में खनन बंद करो।''

आइए, अब इस घटना के कारणों को समझते हैं। सरकार का मानना था कि विकास के लिए इस परियोजना की आवश्यकता थी। इस परियोजना में एक मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाली एल्युमिना रिफायनरी, 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइट खान, कालाहांडी जिले के लंजीगर में 75 मेगावाट का बिजली संयत्र का निर्माण होना था। इन सबके लिए 4000 करोड़ रूपए का निवेश क्षेत्र में होना था जिससे वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते।

दूसरी ओर जिन लोगों ने खनन का विरोध किया था वे लोग नियमगिरी क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं। यह एक जनजातिय क्षेत्र है जहाँ डोंगरिया कोंड, डोंगरिया कूत और अन्य जनजातियाँ लंबे समय से निवास करती हैं। नियमगिरी पहाड़ी का नाम नियमराजा पेनु नामक एक राजा के नाम पर पड़ा है। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ आज भी इस पहाड़ी की पूजा नियमराजा के रूप में करती हैं। उनका मानना है कि नियमराजा उनकी रक्षा करता है। ये लोग नियमगिरी क्षेत्र में मिलने वाले वन, वन्य जीव, नदी, झरनों आदि से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। इस प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का आधार नियमगिरी पहाड़ी और यहाँ फैली प्राकृतिक संपदा ही है। अगर यहाँ खनन होता तो इन लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ता और उनकी आजीविका के साधन छिन जाते।

जब से सरकार और कम्पनी के बीच समझौता हुआ था तभी से ये जनजातियाँ खनन परियोजना का विरोध कर रही थीं। इसके लिए इन लोगों द्वारा एक लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष किया गया। कुछ अन्य समाजसेवियों ने भी जनजातीय लोगों की मदद की। सरकार द्वारा जनजातियों की माँग पर परियोजना की जाँच के लिए कई समितियाँ गठित की गई। इन समितियों ने यह पाया कि कम्पनी ने गलत तरीके से खनन की अनुमति प्राप्त की थी। जनजातीय क्षेत्र में खनन करना पीसा एक्ट (जिसके तहत जनजातिय–वनांचलों में पंचायतों को कई अधिकार दिए गए थे) का उत्लंघन था। नियमगिरि के जनजातिय लगातार जुलूस, प्रदर्शन और वेदांत कंपनी के प्रवेश का विरोध करते रहे। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत जनजातिय क्षेत्र की 12 ग्रामसभाओं को, इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। अंततः सभी ग्रामसभाओं ने एक मत होकर खनन के विरोध में मतदान किया। इस प्रकार जनजातिय लोगों ने नियमगिरी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर अपने परंपरागत अधिकारों की लड़ाई एक लंबे समय के बाद जीती।

चित्र 16.2 : नियमगिरि के जनजातिय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करवाए गए ग्रामसभा में उत्खनन परियोजना के विरोध में बोलते

नियमगिरि लोगों के हितों की रक्षा करने में कानून, जन आंदोलन और न्यायालय की क्या भूमिकाएँ रहीं?

16.1.2 सूचना के अधिकार का संघर्ष

अभी हमने ओडिशा के जनजातियों की कहानी को समझने का प्रयास किया था। आइए, अब हम एक और जन आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं –

मध्य राजस्थान के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमन्द सूखा प्रभावित जिले हैं। यहाँ छोटे किसान और मजदूर जीवनयापन के लिए सरकार की योजना अकाल राहतकार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। इनमें से अधिकतर योजनाएँ पंचायतों द्वारा चलाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में काम के बदले न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती थी। 1987–88 में जब न्यूनतम वेतन 11 रूपए था आमतौर पर पुरूषों को 7 या 8 रूपए के हिसाब से और महिलाओं को 5 या 6 रूपए के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी।

चित्र 16.3 : मजदूर किसान शक्ति समिति द्वारा आयोजित एक पदयात्रा

क्या आपके क्षेत्र मे ऐसी समस्याएँ हैं? चर्चा कीजिए।

परेशान होकर यहाँ के मजदूरों द्वारा अपने कार्य की न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाने लगी। कई सरकारी कार्यालयों से शिकायत के बाद भी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इस पर मजदूरों ने संगठित होकर आंदोलन करने का विचार किया। इसके लिए 1 मई 1990 में मजदूरों ने 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' भी बनाया। कुछ समाजसेवियों ने इस संगठन का नेतृत्व किया।

'मजदूर किसान शक्ति संगठन' ने पूरी मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर कई धरने दिए भूख हडतालें की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मजदूरों को बताया जाता था कि उनके द्वारा काम कम किया गया है इसलिए मजदूरी भी कम मिलेगी। इस पर संगठन ने तय किया कि एक गाँव के 12 मजदूर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे। साथ ही वे अपने कार्य की नाप भी खुद ही करेंगे लेकिन ऐसा करने के बाद भी इन मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इसके बाद क्षेत्र के मजदूर और किसानों ने 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' के साथ मिलकर आंदोलन किया। एक लंबे संघर्ष के बाद केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से इन 12 मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली।

मजदूरों ने पूरी मजदूरी के लिए जो प्रयास किए क्या आप उनसे सहमत हैं ? हाँ तो क्यों?

क्या आपने किसी धरने या भूख हड़ताल के बारे में सुना है? चर्चा कीजिए।

इस सफलता के बाद मजदूरों ने अपने काम और उसके बदले में मिली मजदूरी का रिकार्ड रखना प्रारंभ कर दिया। सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता था, उसे मस्टर रोल कहते थे। मजदूरों ने मस्टर रोल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड से मजदूरों को पता चला कि स्थानीय अधिकारियों और सरपंचों द्वारा मजदूरों को उतने वेतन का भुगतान नहीं किया गया जितना कि सरकार ने उनके कार्य के लिए दिया था। कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए।

चित्र 16.5 : एक जुलूस

जैसे ऐसे लोगों के नाम से भुगतान किया गया था जो उस गाँव में पिछले कई वर्षों से नहीं रह रहे थे। कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान किया गया था। मजदूरी कम दिन की गई और भुगतान अधिक दिन का किया गया। ऐसे भवन कागजों में बने जो कभी बने ही नहीं थे।

जनसुनवाई

अब मजदूर जान चुके थे कि सरकार तो उनकी मजदूरी पूरी देती है लेकिन जो अधिकारी और पंचायत के लोग मजदूरों को मजदूरी देते थे वे भ्रष्टाचार करते थे। मजदूरों को समझ आ गया था कि यह मामला केवल मजदूरी का ही नहीं है। अब मजदूरों ने सरकारी रिकॉर्डों को देखने की मांग की लेकिन सरकारी अफसर रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए संगठन ने तय किया कि वे क्षेत्र के गाँव में सभी लोगों को सरकारी कार्यों के भ्रष्टाचार के बारे में बताएँगे। इसके लिए संगठन ने कई जनसुनवाई की थी।

कोट किराना की जनसुनवाई

पहली जनसुनवाई 2 दिसंबर 1994 को आयोजित हुई। इसका विषय था, 1993–94 में पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की, कोट किराना और बगदी कल्याण ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्य। इस जनसुनवाई में कई गाँव के लोगों ने भाग लिया और राजस्थान के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और समाजसेवी भी इस सुनवाई में उपस्थित रहे लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस सुनवाई में भाग नहीं लिया। इस जनसुनवाई में सैकड़ों लोगों के सामने उन 100 लोगों के नाम पढ़े गए जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में विभिन्न विकास योजनाओं में कार्य किया था और जिनको काम के बदले भुगतान किया गया था लेकिन अनेक लोगों ने इस बात को वहाँ आकर प्रमाणित किया कि न तो कभी उन्होंने इन योजनाओं में कार्य किया और न ही उनको कभी मजदूरी का भुगतान किया गया। मस्टर रॉल में ऐसे लोगों के नाम भी जुड़े हुए थे जो कई साल पहले परलोक सिधार गए। यहाँ यह भी दिखाया गया कि बिजली फिटिंग के जिन बिलों का भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था वह भवन बना ही नहीं था। ऐसी अनेक अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार की कई परतें इस पहली जनसुनवाई में खुली। इसके बाद कई जनसुनवाई और हुई इनमें भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए।

क्या आपके क्षेत्र में इस प्रकार की जनसभाएँ हुई हैं? चर्चा कीजिए।

क्या आपको लगता है कि किसी मामले में आपके क्षेत्र में ऐसी जनसुनवाई की जरूरत है। चर्चा कीजिए।

सूचना के अधिकार की माँग

दैनिक नवज्योति 3

सूचना के अधिकार से जनता को मिला हक

सरकारी पॉलिसी में जनता की सहभागिता आवश्यक-चौधरी

सरकारी धन की जनता मालिक-रॉय

चित्र 16.5 : सूचना के अधिकार

शुरू में आंदोलन की माँग केवल न्यूनतम मजदूरी के सही भुगतान से जुड़ी थी लेकिन पांच जनसुनवाई के बाद मजदूर विकास के कामों के सरकारी रिकॉर्ड को देखने की माँग कर रहे थे। वे माँग कर रहे थे कि लोगों की जिंदगी से जुड़े कामों के सरकारी रिकॉर्ड की सूचना सभी लोगों को मिलनी चाहिए। सरकारी अफसर रिकॉर्डों को छुपा कर रखते थे।इन छुपे हुए रिकॉर्डों में भ्रष्टाचार के मामले भी छुप जाते थे। इस बात को संगठन ने समझ लिया था। मजदूरों का मानना था कि उनसे जुड़े कामों के रिकॉर्ड देखना उनका हक है। अब उनको यह हक कानूनी रूप से चाहिए था। आगे चलकर इसी माँग को सूचना के अधिकार की माँग के रूप में रखा गया।

सूचना के अधिकार के लिए संगठन ने बहुत प्रयास किए लेकिन जब सरकार ने उनकी माँग नहीं मानी तो 1997 में संगठन ने राजधानी जयपुर में एक बेमियादी धरना शुरू किया। इस धरने में राज्य के अलग–अलग क्षेत्रों से लोगों ने हिस्सा लिया। यह धरना 26 मई 1997 से 14 जुलाई 1997 तक पूरे 53 दिन तक चला। इस धरने का अंत बड़े ही नाटकीय ढंग से 14 जुलाई 1997 को हुआ। सरकार ने बताया कि उसने एक साल पहले ही आंदोलन की माँगों के अनुसार नियम बना दिया था। इस नियम के अनुसार राजस्थान के आम आदमियों को पंचायतों से बिल, बाउचर्स, मस्टर रोल और अन्य विकास कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखने और उनकी फोटो कॉपी लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था।

राजस्थान के साथ ही सूचना के अधिकार की माँग दूसरे राज्यों में भी चल रही थी। देश के कई राज्यों में सूचना के अधिकार को लागू किया गया। इसकी सूची इस प्रकार है –

क्र.सं.	राज्य	सन्
1	तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम 1997	5 मई, 1997
2	गोवा सूचना का अधिकार अधिनियम 1997	2 दिसंबर, 1997
4	महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2000	18 जुलाई, 2000
3	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000	26 जनवरी, 2001
5	कर्नाटक सूचना का अधिकार अधिनियम 2000	2000
6	दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम 2001	2001

पूरे देश में 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस प्रकार राजस्थान में चले सूचना के अधिकार आंदोलन ने एक लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की।

सूचना के अधिकार से आपको क्या लाभ हुआ है? चर्चा कीजिए।

आप सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।

16.1.3 शांति के लिए आंदोलन

ऊपर दिए गए सामाजिक आंदोलनों की तरह ही पूरी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए हैं। इन आंदोलनों ने युद्धों को रूकवाने में और अन्तर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

आमतौर से शांति आंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने, युद्धों के दौरान हो रही हिंसा को रूकवाने तथा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है।शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्धों को रूकवाना है। शांति आंदोलनों के तहत लोग तरह–तरह के संगठन बनाकर शांति की वकालत करते हैं। शांति शिविर लगाना, चुनाव में युद्ध का विरोध करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना तथा विभिन्न सरकारों की सुरक्षा एवं निःशस्त्रीकरण की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना शांति आंदोलन के मुख्य कार्य हैं।

शांति आंदोलन का क्या आशय है? उदाहरण देकर समझाइए।

शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? आपके विचार में देशों के बीच शांति होना क्यों जरूरी है?

परमाणु हथियारों के प्रसार विरोधी आंदोलन

जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए दो परमाणु बम से हुए भयानक नुकसान को झेला था। इसलिए जापान में परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफी सक्रियता से फैला। 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए। परमाणु हथियारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास था।

इंग्लैण्ड में परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में अभियान : एक केस स्टडी

जापान की तरह ही इग्लैण्ड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह माँग उठाई कि इंग्लैण्ड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अभियान ने यह माँग भी की, कि इंग्लैण्ड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर तक एलडरमास्टन यात्रा निकाली। एलडरमास्टन वक्रशायर में इंग्लैण्ड का परमाणु प्रतिष्ठान था। एलडरमास्टन यात्राएँ 60 के दशक के शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रही।

प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टेन्ड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 'कमेटी ऑफ 100' का गठन किया। इस समूह ने इंग्लैण्ड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैण्ड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी

अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने 'कमेटी ऑफ 100' की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। लगातार धरने पर बैठने और प्रदर्शन करने की नीति तभी कामयाब हो सकती थी जब भारी संख्या में लोग इन प्रदर्शनों में शामिल होते। पुलिस की प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, गिरफ्तारियों तथा अन्य अत्याचारों ने इस समूह के समर्थकों की गिनती को काफी कम कर दिया। रसेल को 89 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया जिसके चलते यह आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि 'कमेटी ऑफ 100' के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था और न ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी। इसलिए बहुत से स्थानीय समूहों ने अपने आपको इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ लेकिन 'कमेटी ऑफ 100' की नीतियों के बारे में काफी भ्रम पैदा होने लगे। धीरे–धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से जुड़ने लगे।

चर्चा कीजिए –

1. इंग्लैण्ड की संसद परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर सकी होगी?
2. 'कमेटी ऑफ 100' द्वारा किया गया धरना, प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा आपस में चर्चा करें।

अमेरिका में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शांति आंदोलन : एक केस स्टडी

जापान और इंग्लैण्ड की तरह अमेरिका में भी 1960 के दशक में परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण शांति आंदोलन किया गया। 1961 में जिस समय शीत युद्ध अपने शिखर पर था उस समय अमेरिकी महिलाओं ने 'शांति के लिए हड़ताल' नामक अभियान के तहत अमेरिका के 60 शहरों में यात्राएँ निकाली। इन यात्राओं में 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया तथा परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने और शीत युद्ध को खत्म करने के लिए एक वृहत प्रदर्शन किया। यह अमेरिका में परमाणु हथियारों के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा राजनैतिक प्रदर्शन था। 20 जून 1983 को अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में परमाणु निःशस्त्रीकरण दिवस मनाया गया। 1986 में सैकड़ों लोगों ने परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में लॉसएंजिल्स से वाशिंगटन तक की पद यात्रा की। अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल नवाडा में 80 व 90 के दशक में कई प्रदर्शन किए। इस तरह 1960 के दशक से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका में परमाणु अस्त्रों को रोकने तथा परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन काफी उल्लेखनीय ढंग से चला तथा उसने कुछ उपलब्धियाँ भी प्राप्त की।

अन्य देशों में शांति आंदोलन

उपर्युक्त देशों के अलावा कनाडा, जर्मनी, इजरायल तथा नार्वे जैसे अनेक देशों में शांति आंदोलन काफी सक्रियता से चले। शीत युद्ध के समय इन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन किया तथा हर तरह के हथियारों की दौड़ को रोकने पर जोर दिया। शीत युद्ध के बाद ये आंदोलन अमेरिका द्वारा ईराक पर किए गए आक्रमण को रूकवाने व सीमित करने में काफी सक्रिय रहे। बाद के कई अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों खासतौर पर मध्य पूर्व युद्ध, मिस्र, लीबिया, तथा सीरिया जैसे देशों के गृह युद्धों को रूकवाने के लिए यह आंदोलन शांति के प्रयास कर रहे हैं। यूरोप के विभिन्न देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कैनेडियाई शांति सम्मेलन, जर्मनी शांति अभियान जैसे अनेक संगठन शांति आंदोलन को आगे बढाने तथा युद्धों को रूकवाने के लिए काफी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं।

अभ्यास

प्रश्न 1 बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए –

1. नियमगिरी है –

   1. एक आंदोलन।
   2. एक पहाड़ी।
   3. बाक्साइट भण्डार।
   4. एक राजा।

2. नियमगिरी के लिए आन्दोलन किससे संबंधित नहीं था ?

   1. पर्यावरणीय आंदोलन
   2. सामाजिक–आर्थिक आन्दोलन
   3. राजनैतिक आन्दोलन
   4. न्याय के लिए आन्दोलन

3. सूचना का अधिकार आन्दोलन प्रारंभ हुआ –

   1. न्यूनतम मजदूरी की माँग के लिए
   2. भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए
   3. मस्टर रोल की जानकारी के लिए
   4. उपर्युक्त सभी के लिए

4. शांति के लिए आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य है –

   1. युद्ध को रोकना
   2. निःशस्त्रीकरण
   3. परमाणु अस्त्र–शस्त्रों पर प्रतिबंध
   4. उपर्युक्त सभी

5. नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए किया गया –

   1. मानव श्रृंखला से 17 किमी तक पर्वत को घेर लिया गया।
   2. ग्रामसभाओं में पर्वत में खनन को अवैध घोषित किया गया।
   3. मतदान से जनमत संग्रह किया गया।
   4. पीसा एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया।

6. राजस्थान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था –

   1. मजदूरी कम, भुगतान अधिक
   2. कागजों पर भवन बना
   3. अज्ञात लोगों का पारिश्रमिक भुगतान
   4. सूचना का अधिकार का उल्लंघन

7. नियमगिरी परियोजना में क्या व्यवस्था नहीं थी –

   1. एल्युमिना रिफायनरी
   2. बाक्साइट उत्पादन प्रतिवर्ष 3 मिलीयन टन
   3. 75 मेगावाट विद्युत उत्पादन
   4. पर्यावरण पर आधारित जनजीवन का संरक्षण

8. ''मजदूर–किसान शक्ति संगठन'' किस सत्याग्रह से सफल हुए –

   1. अनशन
   2. धरना
   3. सविनय अवज्ञा आन्दोलन
   4. ग्रामसभाओं में जनता न्यायालय में जनसुनवाई व भ्रष्टाचार को उजागर कर

9. निःशस्त्रीकरण के लिए शांति का आन्दोलन प्रारंभ हुआ –
   1. मध्यपूर्व के देशों के गृहयुद्ध से।
   2. साम्प्रदायिक आतंक से।
   3. नागासाकी–हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से।
   4. प्रथम विश्वयुद्ध से।
10. शांति के लिए निःशस्त्रीकरण का मुख्य लक्षण है –
   1. शीतयुद्ध का अंत करना। 2. हथियारों का उत्पादन बंद करना।
   3. रासायनिक, जैविक व परमाणु शस्त्रों का अंत।
   4. शांति व विकास कायम करना।

प्रश्न 2 खाली स्थान की पूर्ति कीजिए–

1. अमेरिकी.....ने शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल, यात्रा व प्रदर्शन किया।
2. अमेरिका ने 20 जून 1983 को.....दिवस मनाया।
3. ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठान वर्कशायर के.....में स्थित है।
4. नियमगिरी में.....अयस्क का भण्डार है।
5. अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल.....है।
6. जनजाति क्षेत्रों में खनन.....एक्ट का उल्लंघन था।
7. देश में सन्.....से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ।
8. लेबर पार्टी.....देश से संबंधित है।
9. .....में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे।

प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. ''कमेटी ऑफ 100'' ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलता पूर्वक क्यों नहीं कर पाए? कारण लिखिए।
2. जापान में शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ?
3. शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए।
4. सूचना का अधिकार का सर्वाधिक लाभ लिखिए।
5. जनसुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखिए।
6. नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किनके निर्णय से हुई ?
7. नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किन जनजातियों का निवास था ?
8. नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या निर्णय दिया ?
9. सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन–यापन के लिए किन पर निर्भर होते हैं?

10. मस्टर रोल किसे कहते हैं? समझाइए।
11. सूचना का अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या–क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है?
12. परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्यागपत्र क्यों दिया?
13. राजस्थान के किन्हीं 4 जिलों के नाम लिखिए।
14. परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए।
15. निःशस्त्रीकरण को समझाइए।

चर्चा कीजिए –

1. क्या शांति आंदोलन किए जाने चाहिए। हाँ तो क्यों न तो क्यों? अपने तर्क दीजिए।
2. क्या आपने भारत में ऐसे किसी आंदोलन के बारे में सुना है? चर्चा कीजिए।
3. लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शांति आंदोलनों की क्या भूमिका होती है। चर्चा कीजिए।